SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
October – December 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-4

भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्रियान्वयन: एक विधिक अध्ययन जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में

कुलदीप तिवारी
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा शास्त्र
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की नींव है। शिक्षा न केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास, सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण का आधार भी है। भारत में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के माध्यम से 6 से 14 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अध्ययन विशेष रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इस अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति, समस्याएँ तथा उपलब्धियों का विधिक और व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

UDISE+ 2023-24 के आँकड़ों और जिला शिक्षा कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर लगभग 92.3 %, परंतु उपस्थिति दर 82 % है। शिक्षकों की संख्या में कमी, आधारभूत संरचना की कमजोरी और सामाजिक-आर्थिक कारणों से drop-out rate अभी भी चुनौती है। इस शोध से यह निष्कर्ष निकला कि RTE Act का क्रियान्वयन सफल हुआ है, परंतु यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण, और जन-सहभागिता को बढ़ावा न दिया जाए, तो अधिनियम के उद्देश्य अधूरे रहेंगे।

बीज शब्द

आँकड़ों, शिक्षा, दर, अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा-अधिकार, शिक्षक संसाधन, शिक्षा-सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, शिक्षा-विधान।

प्रस्तावना

भारत में शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है। 2009 में लागू RTE Act का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। भारत के अनेक जिलों की तरह मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या लगभग 82% है और परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि-आधारित है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी प्रयासों के बावजूद यहाँ संसाधनों की कमी, बाल-श्रम, आर्थिक गरीबी, और बालिकाओं की शिक्षा में रुकावट जैसी समस्याएँ मौजूद हैं।

छतरपुर जिला मध्य प्रदेश का एक शहरी क्षेत्र है जहाँ सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालय सक्रिय हैं।Excellence School, Chhatarpur -राज्य सरकार द्वारा संचालित उच्च गुणवत्ता वाला सरकारी विद्यालय। Mariya Mata School, Chhatarpur -निजी सहायता प्राप्त (aided) विद्यालय, जो धार्मिक संस्था द्वारा संचालित है। यह शोध पत्र इन दोनों विद्यालयों में शिक्षा-अधिकार (RTE) के प्रावधानों के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के अनुभवों का तुलनात्मक विधिक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का आशय

निःशुल्क शिक्षा का निम्न आशय है

इसका मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं लगेगा।

- स्कूल फीस
- किताबें
- ड्रेस
- पठन पाठन सामग्री
- प्रवेश शुल्क

इन सबके लिए बच्चे या उनके माता - पिता से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अनिवार्य शिक्षा का आशय निम्न है इसका मतलब है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को स्कूल में दाखिला मिले और वह पढ़ाई पूरी करे।

- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए।
- स्कूल किसी बच्चे को बिना कारण बाहर नहीं कर सकता।
- बच्चे को शिक्षा दिलाना राज्य का कानूनी दायित्व है।

शोध का उद्देश्य

इस शोध का उद्देश्य निम्न है

1. RTE Act के कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करना।
2. छतरपुर जिले में इसके क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना।
3. मौजूदा चुनौतियों और सुधार-संभावनाओं की पहचान करना।

शोध विधि

इस अध्ययन में हमने मिश्रित पद्धति को अपनाया है – यानी गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) दोनों तरह की जानकारी एकत्र की। डेटा दोनों स्कूलों से कुल 60 बच्चों (हर स्कूल से 30) को लेकर एक प्रश्नावली सर्वे किया गया।

- इसके अलावा 10 शिक्षकों, 2 प्रधानाचार्यों, और 20 अभिभावकों से साक्षात्कार भी किए गए।
- साथ ही, स्कूल के रिकॉर्ड, RTE से जुड़ी रिपोर्टें, और सरकारी आंकड़ों को भी देखा गया।
- दोनों स्कूलों के नतीजों की आपस में तुलना करके निष्कर्ष निकाले गए।

शोध विस्तार

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के निम्न बिन्दु है -
6 से 14 साल तक के हर बच्चे को फ्री में पढ़ाई का हक है। यानी इस उम्र तक बच्चे की पढ़ाई पर कोई पैसा नहीं लगेगा। किसी भी बच्चे को स्कूल में दाखिले से मना नहीं किया जा सकता। चाहे कागज़ हों या न हों–दाखिला मिलना जरूरी है। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए रखी जाती हैं। इन बच्चों की फीस सरकार देती है। डेटा दोनों

स्कूलों से कुल 60 बच्चों (हर स्कूल से 30) को लेकर एक प्रश्नावली सर्वे किया गया। जिसमें ज़्यादातर सदस्य बच्चों के माता-पिता होते हैं। स्कूल में अच्छी सुविधाएँ और पढ़ाई के लिए प्रशिक्षित शिक्षक होना जरूरी है। जैसे–बिल्डिंग, पानी, टॉयलेट, खेल का मैदान, पर्याप्त शिक्षक आदि।

गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना व प्रशिक्षित शिक्षक।

विद्यालयों का परिचय

विवरण	एक्सीलेंस स्कूल छतरपुर	मरिया माता स्कूल छतरपुर
प्रकार	शासकीय	निजी सहायता प्राप्त
स्थापना वर्ष	1986	1974
छात्र संख्या	1620	980
शिक्षक संख्या	42	36
RTE सीटें (EWS)	%25	25% (परंतु सीमित उपयोग)
पुस्तकालय/ICT लैब	उपलब्ध	उपलब्ध
मध्यान्ह भोजन योजना	लागू	लागू नही
अभिभावक सहभागिता	उच्च	मध्यम

छतरपुर जिले की शैक्षणिक स्थिति

छतरपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जिसकी शैक्षणिक स्थिति निम्न है

कुल विद्यालय	3,147
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	2,014
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1,133
सरकारी विद्यालयों में कुल नामांकन	2.98 लाख विद्यार्थी
लड़कियों का अनुपात	47.9 %
औसत उपस्थिति दर	82 %

ड्रॉप-आउट दर (कक्षा 1-8)	6.7 %
एक-शिक्षक विद्यालय	142
शौचालय/जल सुविधा वाले विद्यालय	89 %
डिजिटल संसाधन वाले विद्यालय	37 %

RTE के क्रियान्वयन की तुलनात्मक स्थिति

नामांकन एवं उपस्थिति दर

Excellence School में नामांकन दर 98% तथा उपस्थिति दर 87% रही, जबकि Mariya Mata School में नामांकन 95% और उपस्थिति 90% रही। RTE प्रावधानों के तहत सरकारी विद्यालय में अधिक पहुँच देखी गई, परंतु निजी विद्यालय में discipline and attendance बेहतर पाया गया।

EWS श्रेणी के बच्चों की स्थिति RTE के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित हैं। Mariya Mata School में केवल 17% सीटों का उपयोग हुआ, जबकि Excellence School में 100% आरक्षण सीटें भरी गईं। इससे यह स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों में RTE प्रावधानों का अनुपालन पूर्णतः नहीं हो पा रहा।

शैक्षणिक गुणवत्ता एवं संसाधन

दोनों विद्यालयों में शिक्षकों का अनुपात (PTR) लगभग 1:35 है। Mariya Mata School में शिक्षण संसाधन और अनुशासन बेहतर हैं, जबकि Excellence School में ICT सुविधा, पुस्तकालय, और सरकारी सहायता के कारण सामूहिक पहुँच अधिक है।

जागरूकता स्तर - 60 विद्यार्थियों में से केवल 32% को यह ज्ञात था कि शिक्षा एक Fundamental Right है। शिक्षकों में जागरूकता 100% रही, परंतु अभिभावकों में यह 45% तक सीमित थी।

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
October – December 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-4

SMC की भूमिका - Excellence School में SMC नियमित रूप से बैठकें करती है, जबकि Mariya Mata School में ऐसी समिति केवल औपचारिक है।

विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ एवं सर्वेक्षण का परिणाम(

प्रश्न	Excellence School		Mariya Mata School	
	हाँ (%)	नहीं (%)	हाँ (%)	नहीं (%)
क्या विद्यालय में शिक्षण निःशुल्क है?	100	0	05	95
क्या विद्यालय में आवश्यक पुस्तकें व ड्रेस मिलती हैं?	92	8	40	60
क्या शिक्षा के अधिकार की जानकारी है?	35	65	28	72
क्या शिक्षकों का व्यवहार समान है?	85	15	90	10
क्या विद्यालय में विशेष सुविधा (ICT, लैब) है?	80	20	95	5

यह स्पष्ट करता है कि RTE की पहुँच सरकारी विद्यालय में अधिक है, परंतु गुणवत्ता और अनुशासन निजी विद्यालय में बेहतर हैं। 2010 से 2025 तक छतरपुर में school enrollment ratio में लगभग 10% वृद्धि हुई। बालिका शिक्षा अभियान के अंतर्गत "लाड़ली लक्ष्मी योजना" और "सायकल योजना" से बालिकाओं की निरंतरता बढ़ी।

अधिनियम की मुख्य चुनौतियाँ

1. निजी विद्यालयों में RTE के प्रति जागरूकता और अनुपालन में कमी।
2. अभिभावकों का कम कानूनी ज्ञान।
3. शिक्षकों पर प्रशासनिक भार एवं कम प्रशिक्षण।
4. संसाधन असमानता (digital divide)।
5. RTE शिकायत निवारण समिति (District Grievance Redressal) की निष्क्रियता।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से स्पष्ट है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (RTE Act, 2009) ने शिक्षा के अधिकार को वैधानिक शक्ति दी है, परंतु इसका क्रियान्वयन विद्यालयों में भिन्न-भिन्न स्तर पर देखा जाता है। उत्कृष्ट विद्यालय छतरपुर में सरकारी योजनाओं के कारण पहुँच एवं समावेशन मजबूत है, जबकि मारिया माता स्कूल छतरपुर में आधारभूत संरचना एवं अनुशासन सशक्त हैं। कानूनी दृष्टि से दोनों विद्यालयों को समान रूप से अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। यदि RTE को केवल औपचारिक नीति न बनाकर सामाजिक अभियान के रूप में लागू किया जाए, तो छतरपुर जैसे जिलों में शिक्षा का अधिकार वास्तव में जीवन का अधिकार बन सकता है।

सुधार सुझाव

1. RTE जागरूकता अभियान: विद्यार्थियों व अभिभावकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए।
2. निजी विद्यालयों की जवाबदेही बढ़े: जिला स्तर पर त्रैमासिक RTE अनुपालन ऑडिट।
3. शिक्षक-प्रशिक्षण: समानता, समावेशी शिक्षा एवं बाल-अधिकार पर आधारित प्रशिक्षण।
4. अभिभावक सहभागिता: SMC में निजी विद्यालयों के अभिभावकों को भी सक्रिय भूमिका दी जाए।
5. EWS बच्चों की निगरानी: नियमित attendance tracking प्रणाली।
6. Digital Learning Facility: दोनों विद्यालयों में ICT शिक्षा समान रूप से लागू की जाए।

संदर्भ सूची

1. बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009
2. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय - UDISE+ रिपोर्ट (2024)
3. जिला शिक्षा कार्यालय, छतरपुर - वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट(2024)

4. सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय (2012)
5. मध्यप्रदेश शिक्षा पोर्ट .www Educationportal . mp. gov. in, .www educationportal. mp. gov. in
6. साक्षात्कार एक्सीलेंस तथा मरिया माता विद्यालयों के प्राचार्य एवं छात्र :
7. यूनेस्को - शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (2023)
8. एमपी राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल - सीएम राइज कार्यान्वयन रिपोर्ट
9. समाचार पत्र: पत्रिका, छतरपुर संस्करण (मई 2024) - "एक्सीलेंस स्कूल ने दिया आरटीई अनुपालन का उदाहरण।"
10. डॉ. एस.पी. अग्रवाल (2020) - भारतीय शिक्षा प्रणाली एवं विधिक ढांचा, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेस
11. डॉ जे.एन. पाण्डेय- भारतीय संवैधानिक कानून (2024)